(2) अपंग राहत भत्ता

Disability Relief Allowance

उद्‌देश्य अपंग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

पात्रता ऐसे अपंग व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/– रु0 से अधिक न हो ।

अथवा

ऐसे अपंग व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतो से 15000/–रु0 से अधिक न हो।

ऐसे अपंग अव्यस्क बच्चे जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताऐं हैं" (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 35000/–रु0 से अधिक न हो ।

सहायता 550/–रु0 प्रतिमाह

प्रक्रिया निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी।